राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2023/4287 दिनांकः-24.08.2023

परिपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) विनियम, 2017 के विनियम 14(2) एवं 15(2) में परिपत्र क्रमांक एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2023/3825 दिनांक 02.08.2023 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

"Benefit of pay fixation available at the time of normal promotion shall be allowed at the time of financial upgradations under the scheme."

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) विनियम, 2017 के विनियम 19 में पदौन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने के नियमों में उक्त परिपत्र दिनांक 02.08.2023 द्वारा संशोधन किया गया है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) विनियम, 2017 के विनियम 14(7) एवं अनुसूचि-V के बिन्दु संख्या (2) के प्रावधानों में एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में आगामी ठीक उच्चतर पे-लेवल (immediate next higher pay level) दिये जाने का प्रावधान है।

पदौन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने के प्रावधान में किये गए संशोधन के अनुरूप एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने हेतु विद्यमान विनियम 14(2) एवं 15(2) के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन के अनुसार एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में विद्यमान पे-लेवल में एक वेतन वृद्धि जोड़कर ठीक आगामी उच्चतर पे-लेवल (immediate next higher Pay Level) में आगामी सैल में वेतन निर्धारण का लाभ देय किया गया है।

कतिपय इकाईयों द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) विनियम, 2017 के विनियम 14(2) एवं 15(2) में किये गये उक्त संशोधन के क्रम में एसीपी योजना के अन्तर्गत यदि पदौन्नति पद के पे-लेवल स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया गया हे, तो ऐसे आदेशों को तुरन्त संशोधित करावें।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2023/4287 दिनांकः-24.08.2023

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि..............................जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0...।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, ...।
10. रक्षित पत्रावली।

(रामगोपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार